न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 79/2018 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती बेनी बाई पुत्री श्री भेरा डांगी पत्नी पन्नालाल जी डांगी, निवासी थूर, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भेरा डांगी पिता स्वर्गीय रता डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. भीमा डांगी पिता श्री भेरा डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. केसुलाल डांगी पिता श्री भेरा डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. कन्हैयालाल डांगी पिता श्री भेरा डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती हुडी बाई पुत्री श्री भेरा डांगी पत्नी अमरा जी डांगी, निवासी ग्राम लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती वरदी बाई पुत्री श्री भेरा डांगी पत्नी पेमा जी डांगी, निवासी धोल की पाटी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती भंवरी बाई पत्नी श्री भेरा डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 17.06.2017, प्र.सं. 134/16

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री हुकमसिंह अभिभाषक रे0 सं0 2 से 7

———::———

निर्णय **दिनांक 18–08–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा में आराजी नंबर 1976 रकबा 0.0500 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 847/2 रकबा 5 बिस्वा थे। वादी का सजरा खानदान वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.09.21 11:43:21 IST
Reason: SelfAttested

तथा प्रतिवादीगण का सजरा खानदान वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी वादी के पिता रता पिता केरिंग डांगी के समय की होकर मौरूसी जायदाद है जो वादी के पिता को आवंटित हुई थी। वादी अपने मौरूस का एक मात्र उत्तराधिकारी होकर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 262 दिनांक 24–11–1975 वादी के नाम स्वीकृत हुआ, किन्तु वादी के पिता का नाम एवं प्रतिवादीगण के मौरूस का नाम समान होने के कारण राजस्व कर्मचारियों ने वादी की उपरोक्त आराजी प्रतिवादीगण के मौरूस की अन्य आराजियात के साथ हाल खाता संख्या 248 मौजा मनवाखेड़ा में सम्मिलित कर दी, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी संख्या 1976 को खाता संख्या 248 से अलग कर वादी के नाम स्वतंत्र खाते में दर्ज करायी जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 17–06–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 की ओर से वकील श्री हुकमसिंह देवड़ा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 7 की ओर से भी लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया, किन्तु निर्णय दिनांक तक लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गयी, परन्तु मौखिक बहस की गयी। आज दिनांक को उभयपक्षों की मौखिक बहस सुनी गयी।

अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की उसे कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 05–08–2018 को पटवारी हल्का से मिलने पर उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। तत्पश्चात नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद स्वीकार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.09.21 11:43:21 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जारी की गयी है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौरान बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में व लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के निवास स्थान पर कोई सम्मन जारी नहीं किया तथा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि प्रकरण में दोनों पक्ष मौजूद नहीं हैं, न ही उनके मध्य किसी प्रकार का समझौता हुआ है ऐसी स्थिति में राजस्व लोक अदालत में प्रकरण निर्णित नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया तो पाया कि प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब में नियत था, किन्तु प्रतिवादीगण का बिना जवाब लिये एवं बिना पक्षकारों की सहमति में लोक अदालत में केवल वादी की उपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–06–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब लेकर एवं उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 19–10–2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 18–08–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.09.21 11:43:21 IST
Reason: SelfAttested